



राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर



W-6, गौरव पथ, जोधपुर (राज.) फोन. 0291-2432290/2434272 फैक्स नं.- 2632329

Visit us: <http://livelihoods.rajasthan.gov.in>,

e-mail ID: dte.cts.raj@gmail.com

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र-1/प्रवेश/2020/1001/10584

दिनांक :- 30/7/2020

उप निदेशक, प्रशिक्षण,

क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा,

अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।

विषय:- सत्र 2020-21 में प्रवेश कार्य हेतु प्रवेश प्रभारी नियुक्त करने एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके क्षेत्राधीन जिन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आचार्य/अधीक्षक का पद रिक्त है उन संस्थानों में सत्र 2020-21 में प्रवेश कार्य सम्पन्न करने हेतु आप अपने स्तर पर उस संस्थान में पदस्थापित समूह अनुदेशक/वरिष्ठतम वरिष्ठ अनुदेशक को प्रवेश प्रभारी नियुक्त करने के आदेश तीन दिवस में प्रसारित करावें तथा निदेशालय को सूचित करावें।

जिन संस्थानों में वरिष्ठ अनुदेशक पदस्थापित नहीं है उन संस्थानों में निकटतम संस्थान से समूह अनुदेशक/वरिष्ठ अनुदेशक को उस संस्थान में प्रवेश प्रभारी नियुक्त करने के आदेश प्रसारित कर निदेशालय को सूचित करावें, साथ ही प्रवेश प्रभारी को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के संलग्न सामान्य निर्देश अनुसार प्रत्येक गतिविधियों की पालना समय पर सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करावें साथ ही सभी प्रवेश प्रभारी प्रवेश संबंधी नवीनतम जानकारी प्राप्त करने हेतु निदेशालय की वेबसाइट www.livelihoods.rajasthan.gov.in का प्रतिदिन अवलोकन करें।

संलग्न:- सामान्य निर्देश।

भवदीय,

निदेशक, प्रशिक्षण

क्रमांक: प.सं.7(11)/प्र-1/प्रवेश/2020/1001/10585

दिनांक :- 30/7/2020

प्रतिलिपि:- आचार्य/अधीक्षक/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियुक्त प्रवेश प्रभारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, समस्त को भेजकर लेख है कि संलग्न ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के दिशा-निर्देश, अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही सम्पादित करावें।

उप निदेशक, प्रशिक्षण

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के दिशा-निर्देश

1. प्रवेश प्रभारी द्वारा प्रवेश दिनांक को आवंटित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु कमेटी गठित कर दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा।
2. प्रवेश प्रक्रिया अन्तर्गत IMC सीट पर प्रवेश एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के सीट आवंटन के दोनो चरणों में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन सही पाये जाते हैं उन्हें आवंटित व्यवसाय में प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार जिस SSO ID से शुल्क अपडेट किया गया है उसी SSO ID से ही संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग की सूचना अपनी देखरेख में ऑनलाईन एडमिशन पोर्टल पर प्रविष्टि की जायेगी।
3. प्रवेश प्रक्रिया अन्तर्गत IMC सीट पर प्रवेशित एवं ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के सीट आवंटन के दोनो चरणों में जिन अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रवेश के अन्तर्गत दस्तावेज गलत पाये जाते हैं उन अभ्यर्थियों की सूचना रिकार्ड की जायेगी तथा मय कारण के निम्नानुसार वर्णित प्रपत्र में निदेशालय सूचित की जायेगी।

प्रारूप

संस्थान का नाम:.....

| क्र. सं. | अभ्यर्थी का नाम/पिता/माता का नाम | पोर्टल द्वारा आवंटित व्यवसाय | आवेदन पत्र आईटी क्रमांक | मेरिट संख्या | प्रवेश रद्द होने का कारण |
|----------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | |

4. प्रवेशित अभ्यर्थियों का नियमानुसार प्रशिक्षण एवं अन्य शुल्क जमा किया जाना है।
5. प्रवेश प्रभारी द्वारा समय सारणी अनुसार प्रत्येक गतिविधियों की पालना समय पर सुनिश्चित की जावे।
6. प्रवेश प्रभारी समय-समय पर प्रवेश पोर्टल पर जारी होने वाले महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर पालना सुनिश्चित करावे।
7. प्रवेश प्रभारी संबंधित संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा NCVT MIS Portal पर अपलोड करवाना भी सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु प्रवेश प्रक्रिया संबंधी जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।